25.07.2025

वाद पुकारा गया। अभियुक्त भीष्म उर्फ भीकम व देवीदीन उपस्थित हैं।

प्रार्थना पत्र 10क अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के पिता को उपरोक्त मामले में गलत आरोप पत्र प्रेषित कर विवेचक ने 18 माह बाद मुल्जिम बनाया है। आवेदक की शादी वादी मुकदमा की लड़की अर्चना से निश्चित हुई थी परन्तु पूर्व में ही उसकी मौत हो गयी। आवेदक व उसके पिता से छः लाख रुपये की मांग लड़की मृतका के पिता ने की तो इन्कार करने पर दिनांक 20.04.2023 को रात में फंसाने के लिये झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी, परन्तु डेढ़ वर्ष तक कोई आरोप पत्र न्यायालय नहीं आया। विवेचक ने सही विवेचना न करके वादी से मिलकर वादी को आनर किलिंग से बचाने के लिये आरोप पत्र दिनांक 10.06.2024 को प्रेषित कर दिया जबकि आवेदक व उसके पिता निर्दोष हैं। मृतका अर्चना का किसी से अवैध सम्बन्ध चल रहा था और वह आवेदक के साथ शादी करने को तैयार नहीं हो रही थी, इसलिये परिजनों ने उसकी हत्या जहर खिलाकर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से परिलक्षित होता है। आवेदक भीषम के विरुद्ध पत्रावली में कोई भी साक्ष्य उत्प्रेरणा का या उकसाने का न पाये जाने से मामले में धारा 306 भा०दं०सं० का आरोप विरचित होने योग्य नहीं है और न ही कोई बातचीत का साक्ष्य जरिये मोबाइल पाया गया है। उक्त आधार पर आवेदकगण को मामले से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि भीकम सिंह व वादी की पुत्री अर्चना की शादी तय हुई थी, तथा बाद में आवेदकगण/अभियुक्तगण ने और तय पैसे से अधिक दहेज की मांग करने लगे तथा वादी की पुत्री को अपशब्द व चरित्र हनन का लांछन लगाया, जिससे क्षुब्ध होकर वादी की पुत्री ने आत्महत्या कर ली। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग, गाली गलौज व आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया गया है। वहीं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि इस प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त देवीदीन की भी मामले में समान सहभागिता है, अतः उसके विरुद्ध भी धारा 306 का अपराध बनता है। उक्त आधारों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र 10क निरस्त किये जाने तथा आवेदक/अभियुक्त देवीदीन के विरुद्ध भी धारा 306 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामज़द हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि उसकी लड़की की शादी अभियुक्त भीष्म उर्फ भीकम के साथ ढाई लाख रुपया व एक तोला सोना पर तय हुई थी, लेकिन बाद में आवेदकगण/अभियुक्तगण ने और तय पैसे से अधिक दहेज की मांग करने लगे तथा वादी की पुत्री को अपशब्द व चरित्र हनन का लांछन लगाया, जिससे क्षुब्ध होकर वादी की पुत्री ने आत्महत्या कर ली। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा यह भी कहा गया है कि उसकी पुत्री की भीष्म से मोबाइल पर बातचीत होती थी। इसी के साथ विवेचक द्वारा साक्षियों के साक्ष्य अंकन तथा पर्याप्त साक्ष्य संकलन के पश्चात अभियुक्त भीष्म उर्फ भीकम के विरुद्ध धारा 306,504 भा०दं०सं० व अभियुक्त देवीदीन राजपूत के विरुद्ध धारा 504 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

इसी के साथ यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि आरोप परिवर्तन या अतिरिक्त आरोप का विचरन विचारण के दौरान किसी भी प्रक्रम पर किया जा सकता है। आरोप विचरन के प्राथमिक स्तर पर जो पुलिस प्रपत्र व अभिलेखीय साक्ष्य है

P.T.O.

वह अभियोजन कथानक के अनुरूप प्रथम दृष्ट्या सही प्रतीत होते हैं। अभियोजन द्वारा मौखिक रूप से आरोप बढ़ाये जाने का तर्क विधि अनुसार स्वीकार किये योग्य नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह 1977 AIR 2018** में धारा 227 दं०प्र०सं० के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर न्यायालय को यह नहीं देखना है कि क्या अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है या क्या मुकदमे का उसकी दोषसिद्धि पर समाप्त होना निश्चित हो बल्कि यह देखना रहता है कि क्या आरोप विरचन के समय प्रथम दृष्ट्या अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त आधार है।"

चिकित्सीय साक्ष्य के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट है कि मृतका के वैजाइना में सीमेन पाया गया था, तथा द्वितीय पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु जहर खाने से हुई है, जिसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अमोनियम फास्फाइट विष पाया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि जो प्रथम तहरीर वादी द्वारा दी गयी थी उसमें अज्ञात कारण से मृतका की मृत्यु होना बताया गया है। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट पर साक्ष्य तथा गवाहों के बयान उपलब्ध हैं उसमें अभियुक्त भीष्म सिंह जिसके साथ मृतका की शादी तय हुई थी, उसके ही द्वारा मृतका की बातचीत होना अभिकथित किया गया है। इस सन्दर्भ में पत्रावली पर समग्र विवेचना के बाद जो आरोप पत्र विवेचक द्वारा प्रेषित की गयी है उसमें आधार पर्याप्त पाया जाता है तथा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा वादी मुकदमा व अन्य गवाहों द्वारा धारा 161 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत दिये गये बयान तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त भीष्म उर्फ भीकम के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या धारा 306, 504 भा०दं०सं० तथा अभियुक्त देवीदीन राजपूत के विरुद्ध धारा 504 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तदसुनार प्रार्थना पत्र 10क निस्तारित किया जाता है। पत्रावली आरोप विरचन हेतु दिनांक 31.07.2025 पेश हो।

दिनांक 25.07.2025

सत्र न्यायाधीश,
हमीरपुर।

Digitally signed by MANOJ KUMAR RAI
Date: 2025.07.25 17:08:42 IST
Reason: Order passed
Location: District and Sessions Court